न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/221

1. गजेन्द्र सिंह आत्मज श्री खुमान सिंह जाति राजपूत ।
2. शिवराज सिंह आत्मज श्री खुमान सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती चन्द्रकंवर पत्नी स्व0 श्री धन सिंह जाति राजपूत ।
2. रणजीत सिंह आत्मज स्व0 श्री धन सिंह जाति राजपूत (मृतक) (नाम तर्क) ।
3. संग्राम सिंह आत्मज स्व0 श्री धन सिंह जाति राजपूत (मृतक) (नाम तर्क) ।
4. सज्जनबाई पुत्री स्व0 श्री धन सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. किशन सिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी, 183, इन्द्रा कॉलोनी, विज्ञान नगर, कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. राजेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 किशन सिंह निवासी 183, इन्द्रा कॉलोनी, विज्ञान नगर, कोटा।
6. जनार्दन सिंह आत्मज श्री खुमान सिह जाति राजपूत निवासी सी–170, इन्द्रा कॉलोनी विज्ञान नगर, कोटा ।
7. आशा पुत्री श्री खुमान सिंह जाति राजपूत निवासी, 183 इन्द्रा कॉलोनी विज्ञान नगर, कोटा (नाम तर्क) ।
8. साबिर आत्मज श्री शहजाद जाति मुसलमान ।
9. मंशी आत्मज श्री नत्थू खॉ जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम भीमपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहीसलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अतुल वशिष्ट, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से

निर्णय दिनांकः 19.11.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 13 किता की 8.47 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि स्वर्गीय भंवर लाल जी के खाते की भूमि है जो उनकी मृत्यु के बाद उनके तीनों पुत्र धनसिंह, खुमान सिंह एवं किशन के शामलाती खाते में दर्ज की गई । प्रार्थिनी क्रम 01 के पति एवं प्रार्थी क्रम 2 से 4 के पिता उनके जीवनकाल से ही उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रार्थिनी के पति की मृत्यु हो जाने के बाद अप्रार्थीगण उक्त शामलाती भूमि का बंटवारा किये बिना अप्रार्थीगण क्रम 01 से 4 प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे की कृषि भूमि को बेचान करने व लगान आदि जमा करने पर विवाद कर रहे है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर बेचान करने पर भी आमादा हैं । यदि उक्त संयुक्त कृषि भूमि का बिना विभाजन कराये बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा होगा तथा अपरिमित क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को बेचान नहीं करे, प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे । प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करने का प्रयास नहीं करे । उक्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे ।

4. अधीनस्थ ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 05.06.2018 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी क्रम 02 व 03 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 प्रार्थीगण का सम्पूर्ण आराजी के खसरा नम्बर 230, 231, 234, 237, 241, 242 में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा निहित नहीं है क्योंकि उनके द्वारा अपने हिस्से की आराजी का पूर्व में ही अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया जा चुका है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी जमाबन्दी की नकल प्रापत करने पर जमाबन्दी में लगे नोट के इन्द्राज होने पर दिनांक 28.05.2019 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में अपीलान्ट अनुपस्थित थे । अपीलान्ट को लोक अदालत की कोई सूचना नहीं दी गई । अपीलान्ट की प्रोपर तामील नहीं हुई है, चस्पानगी के आधार पर तामील मानी गई है जबकि किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं । रेस्पोडेन्टगण क्रम 01 से 04 का वादग्रस्त आराजी में कोई हित–निहित नहीं है क्योंकि उनके द्वारा अपने हिस्से का विक्रय अन्य व्यक्ति को किया जा चुका है इसके बावजूद स्थगन आदेश पारित किया है । सह खातेदार की आराजी पर एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

10. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में एक विक्रय दिनांक 08.08.2014 की फोटो प्रति है जिसके अनुसार रणजीत सिंह, संग्राम सिंह व भारत सिह पिसरान स्वर्गीय धन सिंह, मंजू व सज्जनबाई पुत्रियॉ स्वर्गीय धनसिंह, चन्द्रबाई बेवा धनसिंह के द्वारा वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 234, 237, 241 एवं 242 में से अपने हिस्से का विक्रय गोविन्द बागडी को किया गया है । इसी प्रकार एक अन्य विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न की गई है जिसके अनुसार रणजीत सिंह, संग्राम सिंह व भारत सिंह पिसरान स्वर्गीय धन सिंह व गायत्री, मंजू, सज्जनबाई पुत्रियॉ स्व0 श्री धनसिंह, श्रीमती चन्द्र बाई उर्फ चन्द्रीबाई बेवा स्व0 धनसिंह के द्वारा खसरा नम्बर 230, 231 में से अपने हिस्से का विक्रय हाजी अब्दुल हफीज को किया गया है । पेश किये दस्तावेजात प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 से 04 के द्वारा अपीलान्ट एवं अन्य के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कुल 13 किता की 8.47 हैक्टर आराजी वाके ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है । उक्त भूमि स्वर्गीय भंवर लाल के खातेदारी की है और उनकी मृत्यु के बाद धनसिंह, खुमान सिंह एवं किशन के खाते में दर्ज हुई है । आराजी पर प्रार्थिया क्रम 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रार्थिया के पति की मृत्यु हो जाने पर अप्रार्थीगण आराजी का बेचान करने पर आमादा हैं । प्रार्थीगण क्रम 06 व 07 जबरन संयुक्त खाते की आराजी में कब्जा करने पर आमादा हैं । अतः उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रार्थिनी की उपस्थिति दर्ज की गई है । अप्रार्थीगण में से किस की भी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है और उसी दिन निर्णय पारित करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । निर्णय आदेशिका पर ही पारित किया गया है उसमें अस्थायी जारी करने के लिए आवश्यक बिन्दु प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति किसी पर भी विवेचन नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

14. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर बहस सुनकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट से जवाब प्राप्त कर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.11.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा